ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

14/08/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

THE HINDU National

मणिपुर के अधिकारी को सोशल मीडिया ग्रुप छोड़ने को कहा गया

इन खबरों के बीच कि मणिपुर में नौकरशाही और पुलिस जातीय आधार पर बंटे हुए हैं, राज्य सरकार ने...अधिकारियों से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर औपचारिक और अनौपचारिक समूहों को छोड़ने के लिए कहा था जो "समुद्रवादी, राष्ट्रविरोधी, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे" को आगे बढ़ाते हैं।

आयुक्त (गृह) को भेजा गया एक पत्र, जो 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का भी हिस्सा है, बताता है, "यह देखा गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य चैट समूहों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में कई औपचारिक और अनौपचारिक समूह हैं। अलगाववाद, विरोध को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं

राष्ट्रीय, राज्य विरोधी, समाज विरोधी, सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे जो राज्य के शांतिपूर्ण सद्भाव और कानून व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी का कारण बनते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इन्हें साझा और टिप्पणी कर रहे हैं।

इसमें चेतावनी दी गई है कि इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों और लोक सेवकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

14 राज्यों को अभी भी शिक्षा योजना में शामिल होना बाकी है

पीएम ऊषा (प्रधानमंत्री उच्चतर सिख अभियान) राज्यों द्वारा पहचाने जाने वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करती है और इससे उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार होगा। यहतीन चरणों में किया जाएगा

- पहला चरण - राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सुधारों को लागू करने की प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं।
- दूसरा चरण: राज्य सरकार विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और जिलों को शॉर्टलिस्ट करेगी।
- तीसरा चरण: मंत्रालय प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और फिर उन्हें परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए भेजेगा।

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से हैं, जिन्होंने अभी तक शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इससे उच्च शिक्षण संस्थानों के सुधार के लिए केंद्र से लगभग ₹13000 करोड़ मिलेंगे। पीएम उषा में 40 प्रतिशत खर्च राज्यों के लिए है। . केंद्र ने बताया है कि वह मतभेदों को सुलझाने के लिए उन राज्यों के साथ समझौता कर रहा है, जिन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

केरल ने पाठ्यपुस्तकों में एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हिस्से को बरकरार रखा है

केरल की पाठ्य पुस्तकों में शामिल होंगे

- मुगल काल और अकबरनामा जल्द ही पाठ्यपुस्तक जारी की जाएगी।
- मध्य युग के विषय, सांस्कृतिक गठन, खोजों और आविष्कारों का युग।
- राजनीति और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग, सांप्रदायिक अधिकारों और अत्याचारों का इतिहास शामिल होगा।

SC का प्रस्ताव. सभी अदालतों के लिए 'स्थायी सुरक्षा इकाइयाँ'

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अदालत परिसरों में हिंसा और गोलीबारी की घटनाओं को याद करते हुए देश भर के अदालत परिसरों की सुरक्षा के लिए 'स्थायी सुरक्षा इकाइयों' का प्रस्ताव दिया है।
न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह टिप्पणी की।

अदालत ने उच्च न्यायालयों से अदालत परिसरों की सुरक्षा के लिए गृह सचिव और डीजीपी और पुलिस आयुक्त के परामर्श से "सुरक्षा योजना" तैयार करने को कहा है।
"सुरक्षा योजना में प्रत्येक परिसर में एक स्थायी अदालत सुरक्षा (इकाई) स्थापित करना शामिल हो सकता है"।
पीठ ने कहा कि योजना में इन जनशक्ति के स्रोत और ताकत को बढ़ाना चाहिए। इसने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी कैमरों की योजना जिलेवार आधार पर बनाई जानी है, जहां राज्य सरकार को धन उपलब्ध कराना है।

भारत-चीन आज करेंगे सैन्य वार्ता.

रक्षा सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के प्रयास के तहत सोमवार को चुसुल में 19वें दौर की सैन्य वार्ता करने के लिए तैयार हैं। भारतीय रुख लगातार बना हुआ है, यानी अप्रैल 2020 तक यथास्थिति है।, और ध्यान देपसांग और डेमचौक से सैनिकों को हटाने पर होगा। उपरोक्तविवरण पारंपरिक गश्त बिंदुओं तक गश्त के अधिकारों की बहाली का है।" एक रक्षा सूत्र ने कहा।

अप्रैल में 18वें दौर की बातचीत हुई लेकिन रुक गई और कोई नतीजा नहीं निकला.

डेपसांग और डेमचौक ही ऐसे दो प्वाइंट बचे हैं जहां अब भी टकराव है.

Haryana Mahpanchayat decides to resume Yatra in Nuh on August 28 .

AMahapanchayat of Khaps in Haryana has decided to resume Brijmandal Jalabhishek Yatra on August 28 . Violence during and after Yatra between two communities killed almost 6 persons .The Mahapanchayat also demanded NIA probe into violence incidences
Other demands were to ease arms licenses for Hindus and merger of Nuh district with some other district .

World

पाकिस्तान में चीनी कामगारों के काफिले पर हमले के बाद दो आतंकवादी मारे गये

ग्वादर बंदरगाह की ओर जा रहे चीनी श्रमिकों के काफिले पर हमला करने पर दो अलगाववादी आतंकवादी मारे गए।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। बीएलए ने दावा किया कि उसके दो लड़ाके "आत्मबलिदान" हमले में मारे गए, जब चीनी काफिला ग्वादर बंदरगाह जा रहा था। आमतौर पर अपने दावों को तूल देने वाली बीएलए ने बताया कि इसमें चार चीनी कर्मचारी और 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गये.

चीन ने चीनी लोगों और प्रोजेक्ट पर हमला करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के तहत चीन से पाकिस्तान के ग्वादर तक सड़क का निर्माण किया जाना है। ग्वादर में एक बंदरगाह का भी निर्माण किया गया है।

चीन ने ताइवान के उपराष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा पर 'जबरदस्त' जवाब देने का वादा किया।

ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई पराग्वे के दौरे पर हैं, बीच रास्ते में वह रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे। चीनने अमेरिका द्वारा श्री लाई को अपने क्षेत्र से पारगमन की अनुमति देने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को कहा, "चीन स्थिति के विकास पर बारीकी से नजर रख रहा है और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ और सशक्त कदम उठाएगा।"

पिछले वर्षों में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र के आसपास चीनी सेना द्वारा घुसपैठ लगभग प्रतिदिन होती रही है।

पाकिस्तान में 11 लोगों को टीवी पर बैन कर दिया गया है.

पाकिस्तानी मीडिया निगरानी संस्था ने टीवी चैनलों को 11 लोगों को हवाई क्षेत्र देने से रोक दिया है, जिनमें सेना और शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करने के आरोपी पत्रकार भी शामिल हैं और अदालतों द्वारा "घोषित अपराधी" या भगोड़े घोषित किए गए हैं। उल्लंघनके खिलाफ समाचार चैनलों को गंभीर दंड की चेतावनी दी गई है।

11 लोगों में साबित शाकिर, मोहम्मद पीज़ादा, वजाहत सईद खान, शाहीन सहबाई, आदिल फारूक राजा, अली नवाज अवाह, मुराद सईद और हम्माद अज़हर शामिल हैं।

यूक्रेन के खेरसॉन में बच्चे समेत 7 की हत्या

रविवार को यूक्रेन के दक्षिणी खुरासान क्षेत्र में रूसी गोलाबारी में 23 दिन की एक बच्ची सहित सात लोगों की मौत हो गई।

हवाई में जंगल की आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 93 होने से लोगों में गुस्सा

हवाई शहर लाहिना में जंगल की आग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया को लेकर शनिवार को गुस्सा बढ़ रहा था।

हवाई अधिकारियों ने आग से निपटने की जांच शुरू कर दी है, निवासियों का कहना है कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी।

लाहिना शहर में फ़ाइल के टूटने से 2,200 से अधिक संरचनाएँ क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गईं, एक अनुमान के अनुसार 5.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई और कई लोग बेघर हो गए।

लाहिना एक रिसॉर्ट शहर था जिसमें लगभग 12,000 लोग रहते थे।

अधिकारी का कहना है, बांग्लादेश में बाढ़ से 55 लोगों की मौत हो गई और दस लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए

दक्षिण बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं।

संपदकीय

कोड को रिबूट करना

आपराधिक कानूनों में सुधार की जरूरत है लेकिन नये और अपरिचित नामों की नहीं

संपादकीय के बारे में

संपादकीय में हाल ही में आपराधिक कानूनों में सुधार के बारे में बात की गई है। उनकानूनों का नाम बदल दिया गया है जिनकी संपादकीय आलोचना करता है।

यह कुछ नए बदलावों की सराहना करता है।

आपराधिक कानूनों में सुधार के बारे में

सरकार संपूर्ण आईपीसी (भारतीय दंड संहिता), सीआरपीसी (आपराधिक कार्यवाही संहिता) और आईईसी (भारतीय साक्ष्य संहिता) की जगह कानून लेकर आई है। इनके नए कोड नाम भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य (बीएस) बिल हैं। संपादकीय बताता है कि नाम बदलकर सिर्फ हिंदी करना जरूरी नहीं था.

कुछ बड़े बदलाव

- घृणास्पद भाषण को सज़ा से हटा दिया गया है। हालाँकिधारा 150 "विध्वंसक गतिविधियों" और "भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने" पर लक्ष्य के बारे में बात करती है।
- धारा 153 "भारत के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी को ख़तरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक जानकारी" को दंडित करती है।
- मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के रूप में पेश किया गया है।
- साक्ष्य जुटाने पर वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है

संपदकीय-2

स्पष्ट चूक

सरकार को ईसीआई चयन प्रक्रिया पर शीर्ष अदालत के फैसले पर खरा उतरना चाहिए था

➡ संपादकीय के बारे में

संपादकीय में राज्यसभा में हालिया बिल के बारे में बात की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत के चुनाव आयुक्त (ईसीआई) को चुनने वाली समिति में पीएम, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यह बताता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नहीं है. इसके अलावा यह बताता है कि लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग कैसे आवश्यक है।

➡ SC ने हाल ही में EC और CEC की नियुक्ति को लेकर क्या कहा?

EC और CEC की नियुक्ति आम तौर पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एससी संवैधानिक. न्यायपीठ ने प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक स्वतंत्र समिति की परिकल्पना की। हालांकि SC ने कहा कि फैसला तब तक कायम रहेगा जब तक सरकार EC और CEC की नियुक्ति के संबंध में कानून नहीं बना लेती।

➡ सरकारी बिल के बारे में

सरकार एक बिल लेकर आई है जिसमें बताया गया है कि नियुक्ति समिति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.

संपादकीय में कहा गया है कि बेहतर होता कि सरकार का बिल SC द्वारा नियुक्त समिति के समान ही होता।

किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता आवश्यक है।